



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19020/2025

जाहुल

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: सुशील कुमार पांडे, विजय बाबू

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राय की तर्क सुने और वाद के अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि उसे केस क्राइम संख्या 1137/2024 में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेस एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के तहत, पुलिस थाना हाईवे, जिला-मथुरा में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 185 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक रूप से परेशान करने और प्रताड़ित करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 01.12.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की छुट का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बालिया (1977) 4 एससीसी 308 के मामले में यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जमानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है और पैरा 2 में यह विचार व्यक्त किया था कि "मूल नियम को संक्षेप में शायद 'जमानत, न कि जेल' के रूप में रखा जा सकता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जो याचिकाकर्ता, जो न्यायालय से जमानत पर रिहा होने की मांग कर रहा है, द्वारा न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने और इसी तरह की अन्य परेशानियां पैदा करने का संकेत देती हों। हमारा इरादा विस्तृत विवरण देना नहीं बल्कि केवल उदाहरण प्रस्तुत करना है।" और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए तथा गुडीकांती नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात (सिद्धांत), भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियां, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि यह जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध-मामले में शामिल अभियुक्त-आवेदक जाहुल को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस वाद में चालक की भूमिका वर्तमान आवेदक से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

मिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।